रजिस्ट्री सं० डी (डीएन)—128/91 REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 23, 1991 (चैत्र 2, 1913)
No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 23, 1991 (CHAITRA 2, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषयसूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	265
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	347
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और सांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	353
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश .	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . .	279
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस .	335
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	609
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस .	39
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक . .	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	265
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	347
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	353
PART II SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	279
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	335
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	1
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	609
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	39
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I--SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1991

सं० 32-प्रेज/91—राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री रामेश्वर सहाय,
सर्किल इन्स्पैक्टर,
जिला नालन्दा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 15 मार्च, 1989 को 7.15 बजे (अपराह्न) श्री रामेश्वर प्रसाद, सर्किल इंस्पैक्टर को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ डाकुओं ने लोहारा पुल पर एक सड़क को बन्द कर दिया है और यात्रियों को लूट रहे हैं। ऐसे समय जब कार्मिकों की वांछित संख्या, शस्त्र और गोला बारूद, और वाहन उपलब्ध नहीं थे, श्री सहाय, श्री डी० के० सिंह, सहायक उपनिरीक्षक को साथ लेकर अपनी पुरानी मोटर साइकल पर घटनास्थल के लिए रवाना हुए। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने डाकुओं को ललकारा इससे पहले कि वह अपनी पिस्तोल निकाल पाते, उन पर डाकुओं ने गोली चला दी। जिस समय दोनों ओर से गोली-बारी हो रही थी, एक डकैत अपनी देसी पिस्तोल को श्री सहाय की छाती की ओर तान कर भागा। श्री सहाय ने संतुलन नहीं खोया और बड़ी एकाग्रता के साथ डाकू को गोली से मार डाला। अन्य डाकुओं ने खतरे का आभास किया और अंधेरे का लाभ उठा कर भाग निकले। मृत डाकू की बाद में उस क्षेत्र के खूंखार डाकू, जवाहर जमादार, के रूप में पहचान हुई।

इस मुठभेड़ में श्री रामेश्वर सहाय, सर्किल इंस्पैक्टर, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 15 मार्च, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 33-प्रेज/91—राष्ट्रपति मध्यप्रदेश पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम तथा पद

श्री ओंकार सिंह (मरणोपरांत)
कान्स्टेबल सं० 546,
पांचवीं बटालियन, एस० ए० एफ०,
जिला सतना ।

श्री प्रतिपाल सिंह (मरणोपरांत)
कान्स्टेबल, सं० 521
पांचवीं बटालियन, एस० ए० एफ०,
जिला सतना ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

10 दिसम्बर, 1989 को सूचना प्राप्त हुई कि 7-8 डकैतों का एक दल जुदेही गेरियन पुरवा गांव के क्षेत्र में घूम रहा है। बरौदा थाने के एस०एच०ओ० एक सहायक उपनिरीक्षक और पांचवीं बटालियन के एक एस० ए० एफ० गश्ती दल (जिसमें कान्स्टेबल ओंकार सिंह और प्रतिपाल सिंह शामिल थे) के साथ गांव के सड़क के चौराहे पर एकत्रित हुए, और उस क्षेत्र को घेरने की योजना बनाई, जहां डकैत घूम रहे थे। पुलिस दल दो ग्रुपों में विभाजित किया गया। एक ग्रुप में, उप-निरीक्षक के नेतृत्व में डी० ए० एफ० का एक कान्स्टेबल, एक हेड कान्स्टेबल और एस० ए० एफ० के चार कान्स्टेबल और दूसरे ग्रुप में सहायक उप-निरीक्षक सहित डी० ई० एफ० के दो कान्स्टेबल, एक हेड कान्स्टेबल और एस० ए० एफ० के 4 कान्स्टेबल थे।

योजना के अनुसार जब दोनों दल जुदेही गांव में मिले तो उन्हें फिर सूचना प्राप्त हुई कि डकैत देवरहा घाटी में शरण लिए हुए हैं। वहां पहुंचने पर उन्हें तीन डकैत मिले, जिनमें दो डकैत सो रहे थे और एक डकैत सन्तरी ड्यूटी पर था। सहायक उप-निरीक्षक ने अपने दल के कार्मिकों को क्षेत्र को घेरने का निर्देश दिया उसके बाद उन्होंने डकैतों को सम्पूर्ण करने के लिए ललकारा। सुरक्षा ड्यूटी पर तैनात डकैत ने तुरन्त पुलिस दल पर गोली चलानी शुरू कर दी। उस पर कान्स्टेबल प्रतिपाल सिंह ने अपनी एस० एल० आर० से डकैतों पर गोली चलाई। इसके परिणामस्वरूप एक डकैत मारा गया। इस घटना के कारण डकैतों और पुलिस दल के बीच दोनों ओर से भारी गोली-बारी हुई। कांस्टेबल ओंकार सिंह ने दक्षिणी दिशा में तीन और डकैतों को देखा और उनके मोर्चे के बारे में दल के अन्य सदस्यों को सूचित किया। डकैतों ने कान्स्टेबल प्रतिपाल सिंह पर गोली चलाई जो अपने एस०एल०आर० से डकैतों पर गोली चला रहा था। एक गोली कान्स्टेबल प्रतिपाल सिंह के बायी हाथों के जोड़ के नीचे लगी। इसी बीच कान्स्टेबल ओंकार सिंह ने दूसरे अन्य डकैतों को देखा जो कान्स्टेबल प्रतिपाल सिंह को मार डालने के उद्देश्य से निशाना लगा रहा था। यह देखकर, उन्होंने अच्छी पहल का परिचय दिया और अपनी आड़ को छोड़कर अपने भाई कान्स्टेबल के जीवन को बचाने का प्रयास किया। उन्होंने मोर्चा संभाला और डकैतों पर गोली चलाई और उसे जख्मी कर दिया। तथापि, इस प्रक्रिया में उन्हें भी एक गोली लगी और वे घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद डकैत अंधेरे और कठिन ऊंची-नीची भूमि का लाभ उठकर बच निकले। कान्स्टेबल प्रतिपाल सिंह को तुरन्त गांधी मेमोरियल अस्पताल रीवां ले जाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गयी। मृतक डकैत की शिनाख्त बाद में राम सुन्दर लोहार, डकैतों के दल के नेता के रूप में हुई।

इस मुठभेड़ में श्री ओंकार सिंह और श्री प्रतिपाल सिंह कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 10 दिसम्बर, 1989 से दिया जाएगा।

सं० 34-प्रेज/91—राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जसविंदर सिंह,
कान्स्टेबल सं० 2886/एस० डी०
(अब हैड-कान्स्टेबल)
दिल्ली पुलिस, दिल्ली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13 सितम्बर, 1989 की रात 9.35 बजे कालकाजी पुलिस स्टेशन में सूचना प्राप्त हुई कि कालकाजी में मकान नं० बी-95 के पीछे कुछ लोग शराब पी कर उपद्रव मचा रहे हैं । पुलिस उप-निरीक्षक, श्री सरूप सिंह एक कान्स्टेबल सहित, जब वहां गए तो उन्होंने पाया कि गली में एक पार्टी चल रही थी । पुलिस उप-निरीक्षक ने मकान के स्वामी को सलाह दी कि वे अधिक शोर न मचाएं । मकान का स्वामी इस बात से चिढ़ गया और उसने अपने सुरक्षा गार्ड की एक नाली वाली बंदूक से हवा में 5-6 गोलियां चला दी । उसने पुलिस उप-निरीक्षक को भी ललकारा । इस दौरान, और बुलाई गई कुमुक, जिसमें श्री सतीश राठी, पुलिस उप-निरीक्षक तथा आठ कान्स्टेबल थे, (कान्स्टेबल जसविन्दर सिंह सहित) वहां पहुंच गई ।

जब श्री सरूप सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, श्री राठी को स्थिति के बारे में बता रहे थे, मकान का स्वामी और उसके साथी गुस्से में बाहर आए और पुलिस कार्मिकों को गालियां देनी आरम्भ कर दी तथा पुलिस दल पर कुर्सियां और पत्थर फैंक कर हमला किया । वे पुलिस उप-निरीक्षक राठी को अन्दर खींच कर ले गए और उन्हें बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया । मकान के स्वामी और उसके भाई द्वारा पुलिस दल पर अन्धाधुंध गोलियां चलाए जाने के जवाब में अन्य कान्स्टेबलों ने श्री राठी को बचाने की कोशिश की तथा श्री सरूप सिंह ने हवा में गोलियां चलाई । गोली-बारी और पथराव के बीच अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बिना कान्स्टेबल जसविन्दर ने बहादुरी के साथ लड़ाई की और भीड़ का सामना किया और घायल श्री राठी को बचा कर बाहर लाने में सफल हो गए । इस प्रक्रिया में उसकी बांई जांघ में एक गोली लग गई और वे घायल हो गए ।

इस घटना में श्री जसविन्दर सिंह, कान्स्टेबल, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 5(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 13 सितम्बर, 1989 से दिया जाएगा ।

सं० 35-प्रेज/91—राष्ट्रपति दिल्ली प्रशासन के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री जगदीश चन्द,
कान्स्टेबल सं० 1160/एस० डी०,
दिल्ली पुलिस, दिल्ली ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

4 जून, 1989 को 6.20 बजे अपराह्न में बदरपुर पुलिस स्टेशन का एक गश्ती दल गश्त लगाते हुए तेजपुर पहाड़ी के नजदीक जैतपुर रोड पर पहुंचा । एक व्यक्ति भागते हुए पुलिस दल के पास आया और उसने पुलिस दल को सूचित किया कि पांच अज्ञात व्यक्ति जैतपुर रोड पर एक दुकान के सामने शेरू नामक व्यक्ति पर वर्तीय मतभेदों के कारण हमला कर रहे हैं । तीन कान्स्टेबल और एक ड्राइवर (कान्स्टेबल जगदीश चन्द सहित) के साथ उप निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस दल तुरन्त घटना स्थल पर पहुंचा । परन्तु पुलिस को आता देख हमलावर वहां से भाग गए । पुलिस दल ने बड़ी तेजी से उनका पीछा किया और उनमें से एक नामतः सुरेश कुमार शर्मा को पकड़ लिया । इस बीच श्री जगदीश चन्द ने एक कान्स्टेबल के साथ भाग रहे अन्य चार आक्रमणकारियों का पीछा किया । पुलिस कर्मियों को पीछा करते देख हमलावर पीछे मुड़े और उन्होंने पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंके जबकि उनमें से एक हमलावर ने पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों को हतोत्साहित करने के लिए अपनी रिवाल्वर से उन पर गोली चलाई । हमलावरों द्वारा चलाई गई गोली कान्स्टेबल जगदीश चन्द के बाएं आंख में लगी जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गए । अपनी पीड़ा तथा व्यथा की परवाह किए बगैर उन्होंने बड़ी तेजी से हमलावरों का पीछा किया परन्तु वे बचकर भागने में सफल हो गए । कान्स्टेबल जगदीश चन्द को बाद में इलाज के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, ले जाया गया ।

इस घटना में श्री जगदीश चन्द कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 4 जून, 1989 से दिया जाएगा ।

सं० 36-प्रेज/91—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दर्शन सिंह,
पुलिस निरीक्षक सं० जे/95
पुलिस स्टेशन-भीखीविन्ड,
जिला—तरन-तारन

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19 नवम्बर, 1988 को श्री दर्शन सिंह, पुलिस निरीक्षक को छन्ना झुगियां और भाई-लाधू गांव के बीच फार्म हाउस में कुछ उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त हुई । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस के कार्मिकों द्वारा एक संयुक्त तलाशी/छानबीन की योजना बनाई गई । योजना के अनुसार, गांव भाई-लाधू से गांव बारा-तलियां तक एक घेरा और दूसरा घेरा भाई-लाधू से कसूर नाले की शाखा पर बने पुल तक और बारा-तलियां तक घेरा डालने का काम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 48वीं और 78वीं बटालियन की कम्पनियों को सौंपा गया । बल को तीन दलों में विभाजित किया गया और प्रत्येक दल का नेतृत्व केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने किया ।

20 नवम्बर, 1988 को लगभग प्रातः 8.00 बजे छानबीन/तलाशी शुरू हुई । जब सभी दल भाई-लाधू गांव की ओर जा रहे थे, एक फार्म हाउस के अन्दर से एक दल पर स्वचालित हथियारों से गोलियां और राकेट लांचर चलाए गए । पुलिस बल ने जवाब में गोलियां चलाई और गोलीबारी के विषय में वायरलेस पर आपरेशन कमान्डर को सूचित किया । उग्रवादी घेराबन्दी तोड़कर बच निकलने के लिए स्वचालित हथियारों से भारी गोली बारी कर रहे थे और राकेट लांचर चला रहे थे । श्री सिंह ने, अपनी जान की परवाह किए बिना उग्रवादियों का पीछा किया और खुले खेत से रेंगते हुए उन्होंने सामरिक महत्व के स्थान पर मोर्चा संभाला । जब उग्रवादियों ने महसूस किया कि वे सभी ओर से घिर गए हैं, तब उन्होंने सिंचाई की पक्की/कच्ची नालियों में मोर्चा संभाला । श्री सिंह ने उग्रवादियों पर बहुत नजदीक से भारी गोलीबारी कर उन पर नियंत्रण रखने में बड़ा साहस दिखाया । तीन आतंकवादी, जो पक्की नालियों में छिपे हुए थे, मारे गए । बाद में, शेष दो उग्रवादी भी दोनों ओर की भारी गोली-बारी में मारे गए । मृतक आतंकवादी की शिनाख्त बाद में बख्शीश सिंह, गुरदेव सिंह, सुखराज सिंह, सुखविन्दर सिंह और परमजीत सिंह के रूप में हुई ।

इस मुठभेड़ में श्री दर्शन सिंह, पुलिस निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम (4)1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19 नवम्बर, 1988 से दिया जाएगा ।

सं० 37/प्रेज/91—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बिक्रम सिंह (मरणोपरांत)
कान्स्टेबल सं० 738/एच० पी० आर०,
पंजाब ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

25 अप्रैल, 1989 को 2.45 बजे पूर्वाह्न में कुछ उग्रवादियों के छिपने के बारे में सूचना मिलने पर गनमैन कान्स्टेबल बिक्रम सिंह सहित थाना सदर, होशियारपुर के पुलिस उप-अधीक्षक अपने पुलिस बल तथा अर्ध-सैनिक बल की एक टुकड़ी के साथ ग्राम मौना कलां के एक मकान पर पहुंचे । घटना स्थल पर पुलिस दल पर आतंकवादियों द्वारा स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई गई पुलिस दल ने गोली का जवाब गोली से दिया । दोनों ओर से लगभग दो घंटे तक गोली-बारी जारी रही । तत्पश्चात यह पता चला कि एक उग्रवादी मारा गया और अन्य दूसरे ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा व्यक्त की । इस कार्रवाई से गोली-बारी की बौछार से श्री बिक्रम सिंह को चोट लगने से उनकी मृत्यु हो गई । बाद में पूछताछ करने पर पता चला कि मृतक आतंकवादी को पकड़ने के लिए उसपर 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था । घटना स्थल से बड़ी मात्रा में शस्त्र और गोला-बारूद भी बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री बिक्रम सिंह, कान्स्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 अप्रैल, 1989 से दिया जाएगा ।

सं० 18-प्रेज/91—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री दलबीर सिंह (मरणोपरांत)
हैड-कांस्टेबल सं० 1166/जी० एस० पी०,
पंजाब ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 जुलाई, 1988 को बाबरी में एक ट्यूब-वैल पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के ठहरने की सूचना प्राप्त होने पर एक पुलिस दल जिसमें एक सहायक उप-निरीक्षक, श्री दलबीर सिंह सहित तीन हैड कांस्टेबल और तीन कांस्टेबल थे, घटना स्थल पर पहुंचे । ललकारे जाने पर, संदिग्ध व्यक्तियों ने गोली की बौछार से उत्तर दिया । उग्रवादियों के आड़ मे होने के कारण पुलिस दल द्वारा बचाव में गोली चलाने का कोई खास प्रभाव नहीं हुआ । श्री दलबीर सिंह, हैड कान्स्टेबल ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उग्रवादियों पर गोली चलाते हुए साहस के साथ आगे बढ़े । इसके परिणामस्वरूप एक उग्रवादी मारा गया और अन्यों ने बच निकलने का प्रयास किया । श्री सिंह इस उग्रवादी पर कूदे और उससे भिड़ गए । इस हाथापाई के दौरान उग्रवादी ने अपनी राइफल से गोली चलाई जो श्री दलबीर सिंह को लगी और वे घटनास्थल पर ही वीरगति को प्राप्त हो गए और उग्रवादी इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर बच निलकने में सफल हो गए ।

इस मुठभेड़ में श्री दलबीर सिंह हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 8 जुलाई, 1988 से दिया जाएगा ।

ए० के० उपाध्याय
निदेशक

संसदीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 फरवरी, 1991

संकल्प

सं० फा० 4(1)/90-हिन्दी—संसदीय कार्य मंत्रालय के समसंख्यक संकल्प दिनांक 3-8-1990 के आंशिक आशोधन में, निम्नलिखित तीन व्यक्तियों को इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति पर गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में नामित किया गया है ।

1. श्री अवधि बिहारी सिंह,
कवि,
137, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली ।
2. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी, भूतपूर्व सांसद,
111/78, अशोक नगर, कानपुर-20 ।
3. श्रीमती जयावहन शाह,
अध्यक्ष, सौराष्ट्र हिन्दी प्रचार समिति,
राष्ट्रीय शाला, राजकोट-360002,
गुजरात ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक और मंत्रि-मण्डल कार्य विभाग का वेतन तथा लेखा कार्यालय, नई दिल्ली को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

विशन स्वरूप बंसल,
उप सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 फरवरी, 1991

संकल्प

सं० 11011/2/88-हि० का० क०—इस विभाग के दिनांक 24 अगस्त, 1990 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक संशोधन करते हुए भारत सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग तथा बीमा सहित) की हिन्दी सलाहकार समिति मे श्री कमल मोरारका, संसद सदस्य (राज्य सभा) के स्थान पर श्री रंजन प्रसाद यादव, संसद सदस्य (राज्य सभा) को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति राष्ट्रपति के सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रीमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, समिति के सभी सदस्य और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को प्रेषित की जाए ।

यह भी आदेश है कि सर्व साधारण की सूचनार्थ इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

कमल पाण्डे,
संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 1991

आदेश

सं० 12/19/80-ई० आई० एण्ड ई० पी०—शत्रु सम्पत्ति संशोधन अधिनियम, 1977 द्वारा यथा संशोधित शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार श्री छोटे लाल कुरील, संयुक्त सचिव (राजस्व) उत्तर प्रदेश शासन को श्री प्रभास कुमार झा, संयुक्त सचिव (राजस्व), उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर उत्तर प्रदेश के लिए शत्रु सम्पत्ति उप-अभिरक्षक के पद पर तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश होने तक के लिए एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

बी० एल० मल्होत्रा
संयुक्त निदेशक

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

(पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी, 1991

आदेश

विषय : सौराष्ट्र अपतट में 26,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के लिए आयल इंडिया लिमिटेड को पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की स्वीकृति देना :

सं०-12012/31/89-ओ० एन० जी० डी०-4—इस मंत्रालय के दिनांक 15-10-1990 के समसंख्यक आदेश में आंशिक संशोधन के रूप में, पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के पैरा 1 की 7वीं पंक्ति में उधृत प्रभावी तारीख 1-7-1989 के स्थान पर 15-10-1990 पढ़ें ।

उक्त लाइसेंस की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं है ।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से आदेश जारी ।

के विवेकानन्द,
डेस्क अधिकारी

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी, 1991

संकल्प

सं० 07011/1/87-नमक—नमक के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने वाले इस मंत्रालय के संकल्प सं० 07011/1/87-नमक दिनांक 16 जून, 1988 के अतिक्रमण में भारत सरकार ने संसद के निम्नलिखित सदस्यों को उक्त बोर्ड के सदस्यों के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री बलवंत मानवर, संसद सदस्य (लोक सभा) ।
2. श्री आर० एन० राकेश, संसद सदस्य (लोक सभा) ।
3. श्री विश्वास राव रामाराव पाटिल, संसद सदस्य (राज्य सभा) ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सूचना सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय तथा प्रधान मंत्री के कार्यालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र, भाग-I खंड-1 में प्रकाशित कर दिया जाए ।

एम० आर० कृष्णन
अपर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी, 1991

संकल्प

सं० एफ० 1-2/90-पी० एन० (डी०-II)—भारत सरकार ने केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड के लिए निम्नलिखित दो व्यक्तियों को नामित करने का निर्णय किया है जिसे दिनांक 19 अक्तूबर, 1990 के संकल्प संख्या एफ० 1-2/90-पी एन० (डी०-II) के तहत पुनः गठित किया गया था :—

1. डा० डी० पी० पटनायक,
   बोगादी रोड, मैसूर-6 ।
2. डा० (श्रीमती) सरस्वती स्वैन,
   कल्याण नगर, कटक, उड़ीसा ।

इन्हें "विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों" के वर्ग में नामित किया जाता है । उपर्युक्त दोनों नामों को उपर्युक्त स्थान पर रखने में नामित किया जाता है । उपर्युक्त दोनों नामों को स्थान पर रखने के लिए पूर्वोक्त संकल्प के अनुबन्ध में उसी सीमा तक परिवर्तन किया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सर्वसाधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों , सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों, विश्वविद्यालयों/मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग की संस्थाओं/संगठनों आदि को सूचनार्थ भेजी जाएं ।

दिनांक 22 फरवरी, 1991

संकल्प

विषय :— माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम का व्यावसायिकरण

सं० एफ० 7-3/88-वी० ई०—उपरोक्त विषय पर इस मंत्रालय के दिनांक 20-4-1990 के संकल्प संख्या एफ० 7-3/88वी० ई० का आंशिक अधिक्रमण करते हुए उक्त संकल्प के पैरा 3 के अनुसार गठित संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् में उल्लिखित सदस्यों के अलावा निम्नलिखित तीन सदस्यों को शामिल करने के लिए इस परिषद् के गठन का संशोधन करने का निर्णय किया गया है :—

(1) भारतीय राष्ट्रीय व्यापार संघ कांग्रेस,
   1-बी०, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली ।
(2) भारतीय मजदूर संघ,
   2426, तिलक गली, चूना मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली ।
(3) हिन्द मजदूर सभा,
   120, खाबर रोड, नई दिल्ली ।

संयुक्त व्यावसायिक शिक्षा परिषद् में इस समय जोड़े गये सदस्यों सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या अब 75 होगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को तथा सभी सम्बन्धित एजेंसियों और नियोक्ता संगठनों को प्रेषित की जायें ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सर्व सामान्य की सूचना के लिए इस संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए ।

डा० डी० एम० डी० रिबेलो,
संयुक्त सचिव

(संस्कृति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 फरवरी 1991

संकल्प

सं० फा० 15-4/90-सी० एच०-I—राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति के नियमों और विनियमों के नियम 3 के उपनियम (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार श्री संत बक्श सिंह को 5 फरवरी, 1991 के अपराह्न से राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति का अवैतनिक अध्यक्ष और तदनुसार राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति के नियम 18(क) (1) के अन्तर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा नामांकन प्राधिकारी द्वारा अध्यक्षता समाप्त करने तक जो भी पहले हो, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय समिति की कार्यकारी परिषद् का सभापति मनोनीत करती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निदेशक, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, पो० बा०-7, तथा हाउसिंग बोर्ड काम्पलेक्स, भोपाल-462016 को भेजी जाए और इस संकल्प को भारत के राजपत्र में जन सामान्य की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाए ।

रमेश चन्द्र त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

(हिन्दी अनुभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1991

संकल्प

सं० ई० 11014/1/89-हिन्दी—भारत सरकार, इस मंत्रालय के दिनांक 18 मार्च, 1986 के संकल्प संख्या एच० पी० यू०/106/86 का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा, जल भूतल परिवहन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का निम्नलिखित प्रकार से पुनर्गठन करती है :—

1. जल भूतल परिवहन मंत्री	अध्यक्ष
2. सचिव, जल भूतल परिवहन मंत्रालय, नई दिल्ली-1 ।	सदस्य
3. सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार	सदस्य
4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (पत्तन) ।	सदस्य-सचिव
6 महानिदेशक, सड़क विकास, नई दिल्ली ।	सदस्य
7. महानिदेशक, नौवहन, बम्बई ।	सदस्य
8. महानिदेशक, दीपघर एवं दीपपोत विभाग, नई दिल्ली ।	सदस्य
9. अध्यक्ष, भारतीय निकर्षण निगम ।	सदस्य
10. अध्यक्ष एवम् प्रबंध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम ।	सदस्य
11. अध्यक्ष, बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई ।	सदस्य
12. अध्यक्ष, मद्रास पत्तन न्यास ।	सदस्य
13. अध्यक्ष, कलकत्ता पत्तन न्यास ।	सदस्य
14. श्री राम सिंह, संसद सदस्य, लोक सभा ।	सदस्य
15. श्री रामेश्वर पतिदार, संसद सदस्य, लोक सभा ।	सदस्य
16. श्री एम० सी० भंडारे, संसद सदस्य, राज्य सभा ।	सदस्य
17. श्री अब्दुल समाद सिद्दीकी, सदस्य, राज्य सभा ।	सदस्य
18. श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी, संसद सदस्य, लोक सभा ।	सदस्य
19. श्री एस० बी० थोराट, संसद सदस्य, लोक सभा ।	सदस्य
20. श्री आर० शौरि राजन, दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा ।	सदस्य
21. श्री अम्बा शंकर नागर, गुजरात विद्यापीठ, नवरंग पुरा, आश्रम रोड, अहमदाबाद ।	सदस्य
22. डा० बी० के० दूबे, 1595, नैपियर टाऊन, जबलपुर-482 001 (म० प्र०) ।	सदस्य
23. श्री बाला साहेब विश्वास राव पाटिल, खाण्डे रजूरी, डाकघर—खाण्डे रजूरी, तालुका मिराज, जिला—संगलिया-416426 ।	सदस्य
24. डा० प्रमोद सिन्हा, सी-106, एम एस० अपार्टमैंट्स, के० जी० मार्ग, नई दिल्ली ।	सदस्य
25. श्री महादेव सुब्रह्मणियम, प्रतिनिधि, केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद् ।	सदस्य
26. श्री बशीर अहमद मयूख, कवि एवं लेखक, कोटा (राजस्थान) ।	सदस्य
27. प्रो० डा० अमरनाथ बी० दूबे, बम्बई विश्वविद्यालय तथा अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, सिद्धार्थ कालेज, बम्बई (महाराष्ट्र) ।	सदस्य
28. प्रो० एम० लेथन, विभागाध्यक्ष (हिन्दी), वैष्णव कालेज, मद्रास ।	सदस्य

कार्य :—

केन्द्रीय हिन्दी समिति और गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) की हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्धारित नीतियों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के बारे में सलाह देना ।

कार्यावधि

समिति के सदस्यों की कार्यावधि इसके गठन की तारीख से 3 वर्ष होगी, परन्तु :—

(1) समिति के लिए नामजद कोई संसद सदस्य ज्यों ही संसद की सदस्यता का त्याग करेगा समिति का भी सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक समिति के सदस्य रहेंगे जब तक कि वे उस पद पर आसीन रहेंगे जिसके कारण समिति के सदस्य बने हैं ।

(3) यदि समिति से किसी भी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण मध्यावधि ही कोई स्थान रिक्त हो जाए तो ऐसे रिक्त स्थान पर नियुक्त सदस्य 3 वर्ष की बाकी अवधि के लिए ही पदधारी रहेगा ।

सामान्य :—

समिति अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है या यथावश्यक उप समितियां नियुक्त कर सकती है ।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन आवश्यकता होने पर समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है ।

समिति में गैर सरकारी सदस्यों को समिति की तथा उसकी उप समितियों की बैठकों में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि सभी राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्री मण्डल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य और विविध तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अशोक जोशी,
संयुक्त सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 1991

संकल्प

सं० ई०-11015/1/90-हिन्दी—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 2-7-1990 तथा 13-8-1990 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में, भारत सरकार, क्रम संख्या 14, 15 और 16 पर निम्नलिखित व्यक्तियों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नामित करती है :—

(1) श्री अनिल खोसला,
मकान नम्बर 1191, सेक्टर-8,
चण्डीगढ़ ।

(2) श्री के० के० श्रीवास्तव,
भूतपूर्व सचिव (राजभाषा विभाग),
31-ए, श्रीकृष्णपुरी,
पटना (बिहार) ।

(3) श्री एन० के० रामास्वामी आयंगर,
सचिव,
कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति,
ब्लाक-1, जयनगर,
बंगलौर-560011 ।

2. इस समिति की अन्य शर्तें वही रहेंगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रि-मण्डल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियंत्रक को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० लक्ष्मीनारायणन,
संयुक्त सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 27th February 1991

No. 32-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Bihar Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Rameshwar Sahay,
Circle Inspector,
Nalanda District.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 15th March 1989, information was received by Shri Rameshwar Sahay, Circle Inspector that certain dacoits had blocked a road at Lohara Pul and were looting passengers. In the absence of the availability of the requisite number of personnel, arms and ammunition and vehicles at this odd hour, Shri Sahay proceeded to the spot accompanied by Shri D. K. Singh, Assistant Sub-Inspector, on his own old motor-cycle. Without caring for his personal safety, he challenged the dacoits and was fired upon by the dacoits before he could take out his revolver. While this firing continued from both the sides, one of the dacoits rushed towards Shri Sahay with his country-made pistol and aimed at his chest. Shri Sahay kept cool and with utmost concentration shot the dacoit dead. Sensing danger the other dacoits managed to escape under the cover of darkness. The dead dacoit was later identified as Jawahar Jamadar a dreaded dacoit of the area.

In this encounter, Shri Rameshwar Sahay, Circle Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 15th March, 1989.

No. 33-Pres/91.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police.

Names and rank of the Officers

Shri Onkar Singh, (Posthumous)
Constable No. 546,
5th Battalion, S.A.F.
District Satna.

Shri Pratipal Singh, (Posthumous)
Constable No. 521,
5th Battalion,
District Satna.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 10th December, 1989, information was received that a gang of 7-8 decoits was moving in the area of village Judehi Garian Purwa. S.H.O., Police Station Baronda alongwith one Assistant Sub-Inspector and one S.A.F. patrol party of 5th Battalion (including Constables Onkar Singh and Pratipal Singh) assembled at village road crossing and planned a scheme to encircle the area where the dacoits were moving. The police party was divided into two groups. One group under the Command of Sub-Inspector with one Constable of DEF, one Head Constable and 4 Constables of S.A.F. and the other party comprised of one Assistant Sub-Inspector alongwith 2 Constables of DEF, one Head Constable and 4 Constables of S.A.F.

As per the plan, when both the parties met at village Judehi, they further received information that the dacoits were taking shelter in dewraha Ghati. On reaching there they found three dacoits, two were sleeping and one was on sentry duty. The Assistant Sub-Inspector directed his party personnel to encircle the area, thereafter he challenged the dacoits to surrender. The dacoit, who was on guard duty immediately started firing on the police party. Thereupon Constable Pratipal Singh with his SLR started firing on the dacoits. As a result of this, one dacoit was killed. This led to heavy exchange of fire between the dacoits and the police party. Constable Onkar Singh noticed three more dacoits in the south direction and intimated other members of the party about their position. The dacoits fired towards Constable Pratipal Singh, who was firing on the dacoits with his SLR. One of the bullets hit Constable Pratipal Singh on the lower side of left arm joint. In the meantime Constable Onkar Singh saw another dacoit taking aim to kill Constable Pratipal Singh. On seeing this, he displayed great initiative and tried to save the life of his brother Constable by leaving his cover. He took position and fired at the dacoit and injured him. However, in the process he was also hit by a bullet and died on the spot. The dacoits then escaped taking advantage of darkness and difficult terrain. Constable Pratipal Singh was immediately rushed to Gandhi Memorial Hospital, Rewa where he succumbed to his injuries. The dead dacoit was later identified as gang leader Ram Sunder Lohar.

In this encounter Shri Onkar Singh and Shri Pratipal Singh, Constables displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the awards of the President's Police Medal and consequently carry with them special allowance admissible under rule 5, with effect from the 10th December, 1989.

No. 34-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Jasvinder Singh,
Constable No. 2886/SD,
(Now Head Constable),
Delhi Police,
Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 12th September 1989 at 9.35 P.M., information was received in the Police Station Kalkaji that some people were creating nuisance behind house No. B-95, Kalkaji, after taking liquor. Shri Sarup Singh, Sub-Inspector of Police alongwith one Constable went to the spot and found that a party was going on in the bylane. The Sub-Inspector of Police advised the owner of the house for not creating so much noise. The owner got irritated and fired 5-6 shots from a single barrel gun of his security guard in the air. He also challenged the Sub-Inspector of Police. In the meantime the requisitioned re-inforcement consisting of Sub-Inspector Satish Rathi alongwith 8 Constables (including Constable Jasvinder Singh) reached the spot.

While Sub-Inspector Sarup Singh was briefing Shri Rathi about the situation, the owner of that house and his men came out in angry mood and starting abusing the police personnel and attacked the police party with chairs and stones. They dragged Sub-Inspector Rathi inside and started beating him severely. The other Constables tried to rescue Shri Rathi and Shri Sarup Singh opened fire in the air in response to the indiscriminate firing on the police party by the owner of the house and his brother. Amidst the firing and brickbating, Constable Jasvinder Singh, without caring for his personal safety bravely faced and fought the mob and succeeded in rescuing the injured Shri Rathi. In the process, he was hit by a bullet on his right thigh.

In this incident Shri Jasvinder Singh, Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from 13th September, 1989.

No. 35-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Jagdish Chand,
Constable No. 1160/SD,
Delhi Police,
Delhi.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 4th June, 1989 at 6.20 P.M. a police party while on patrol duty from Badarpur Police Station reached Jaitpur Road near Tajpur Pahari. A person came running towards the police party and informed them that five unknown persons were attacking one Shri Sheru at Jaitpur Road in front of a shop, due to some factional dispute. Immediately the police party headed by Sub-Inspector alongwith 3 Constables and a Driver (including) Constable Jagdish Chand) reached the spot but the assailants on seeing the police jeep fled from the scene. The police party gave a hot chase and caught hold of one of them namely Suresh Kumar Sharma. In the meantime Shri Jagdish Chand alongwith one Constable chased the other four assailants who were running away. Seeing the chasing policemen, the assailants turned back and threw stones on them while one of them fired a shot from his revolver to unnerve the chasing policemen. The shot fired by the assailants pierced through the left thigh of Constable Jagdish Chand, who suffered a major wound. Unmindful of pain and agony he gave the assailants a hot chase but they succeeded in making their escape good. Constable Jagdish Chand was later removed to All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, for treatment.

In this incident Shri Jagdish Chand, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 4th June, 1989.

No. 36-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and rank of the Officer

Shri Darshan Singh,
Inspector of Police No. J/95,
Police Station Bhikhiwind,
District Taran Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 19th November, 1988, Shri Darshan Singh, Inspector of Police received information about the presence of some extremists in the farm houses between villages Chhanna Jhugian and Bhai-Ladhu. A joint search/combing was planned consisting of personnel of Central Reserve Police Force and Punjab Police. Six Companies of Central Reserve Police Force alongwith Punjab Police personnel were detailed for operation. As per plan, one cordon from village Bhai-Ladhu upto village Wara-Telian and other from Bhai-Ladhu to Bridge Kasur branch drain and then to Wara-Telian was assigned to Companies of 48th and 78th Battalion of Central Reserve Police Force. The force was divided into three parties, each headed by senior officers of Central Reserve Police Force and Punjab Police.

On 20th November, 1988 at about 8.00 A.M. combing/search was started. When all the parties were advancing towards village Bhai-Ladhu, one of the parties was fired upon with automatic weapons and rocket launchers from inside a farm house. The police party returned the fire and also informed the operation Commander on wireless about firing. The extremists were firing heavily with automatic rifles and Rocket launchers to break the cordon in order to escape. Shri Singh, without caring for his personal safety chased the extremists and took up strategic position after crawling in open fields. When the extremists felt that they were surrounded from all sides, they took positions in irrigation pacca/kacha drains, Shri Singh showed great courage in containing the extremists by putting heavy fire on them from very close range. The three terrorists, who were hiding in the pacca drain were killed. Subsequently, the remaining two extremists were also killed in the heavy exchange of fire. The dead extremists were later identified as Bakshish Singh, Gurdev Singh, Sukhraj Singh, Sukhwinder Singh and Paramjit Singh.

In this encounter Shri Darshan Singh, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 19th November, 1988.

No. 37-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Bikram Singh, (Posthumous)
Constable No. 738/HPR,
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 25th April, 1989, at 2.45 AM, on information about the hiding of some extremists, Deputy Superintendent of Police, Police Station Sadar Hoshiarpur alongwith his police force and one section of para-military force including gunman Constable Bikram Singh reached a house in village Mona Kalan. On the spot, the police party was fired with automatic weapons by the terrorists. The police party responded the firing. This exchange of firing continued for about two hours. Thereafter it transpired that one of the extremists had died and the other one desired to surrender. In this process, a burst of firing hit Shri Bikram Singh which proved fatal. Subsequent interrogation revealed that the dead extremist carried a reward of Rs. 50,000/- on his head. A large number of arms and ammunition were also collected from the spot.

In this encounter Shri Bikram Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5, with effect from the 25th April, 1989.

No. 38-Pres/91.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police.

Name and rank of the Officer

Shri Dalbir Singh (Posthumous)
Head Constable No. 1166/GSP.
Punjab.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

On 8th July, 1988, on information about some suspicious persons taking shelter at a tubewell in Babri, a police party consisting of an ASI, three Head Constables including Shri Dalbir Singh and three Constables reached the spot. On being challenged the suspected persons responded with a volley of fire. The firing in defence by the police party did not have much impact due to cover available to the extremists. Shri Dalbir Singh, Head Constable unmindful of his personal safety made a bold advance towards extremists while continuing firing on them. This resulted in the killing of one extremist while the other tried to escape. Shri Singh jumped on this extremist and grappled with him. During this scuffle the extremist fired from his rifle which hit Shri Dalbir Singh and he died on the spot and the extremists in the meantime managed to escape under the cover of darkness.

In this encounter Shri Dalbir Singh, Head Constable displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of rules governing the award of the Police Medal and consequently carries with it special allowance admissible under rule 5 with effect from the 8th July, 1988.

A. K. UPADHYAY, Director

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

New Delhi, the 19th February 1991

RESOLUTION

No. F. 4(1)/90-Hindi.—In partial modification of Ministry of Parliamentary Affairs Resolution of even number dated 3-8-1990 the following three persons have been nominated as Non Official Members of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Parliamentary Affairs.

1. Shri Avdhi Bihari Singh
137, South Avenue,
New Delhi.

2. Shri Naresh Chander Chaturvedi Ex-M.P.
111/78, Ashok Nagar,
Kanpur-201.

3. Smt. Jayabahan Shah,
President.
Saurashtra Hindi Prachar Samiti,
Rashtriya Shala, Rajkot-360002,
Gujarat.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be forwarded to all State Governments and Union Territories Administrations, All Ministries and Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok/Sabha Sabha Secretariat, Planning Commission, Parliamentary Committee on Official Language, Comptroller and Auditor General of India; and Pay and Accounts Officer, Cabinet Affairs, New Delhi.

It is also ordered that this Resolution may be published in the Gazette of India for information of the public.

V. S. BANSAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 18th February 1991

RESOLUTION

No. 11011/2/88-H.I.C.—In partial modification of this Department's Resolution of even number dated 24th August, 1990 the Government of India hereby nominate Shri Ranjan Prasad Yadav, M.P. (Rajya Sabha) as non-official member of the Hindi Salahkar Samiti of the Department of Economic Affairs (including Banking & Insurance) in place of Shri Kamal Murarka, M.P. (Rajya Sabha).

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinate Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenues, All members of the Committee and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

KAMAL PANDE, Jt. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 23rd March 1991

ORDER

No. 12/19/80-EI&EP.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Enemy Property Act, 1968 as amended by the Enemy Property Amendment Act 1977, the Central Government hereby appoints Shri Chhotey Lal Kureel, Joint Secretary (Revenue) Govt. of U.P. as Deputy Custodian of Enemy Property for Uttar Pradesh vice Shri Prabha Kumar Jha, Joint Secretary (Revenue), Govt. of U.P. with immediat effect until further orders.

B. L. MALHOTRA, Jt. Director

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 14th February 1991

ORDER

Subject : Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil India Limited (OIL) for Saurashtra Offshore area measuring 26,000 sq. kms.

No. O-12012/31/89-ONG.D.4.—In partial modification to this Ministry's order of even number dated 15-10-1990, the effective date of the PEL viz. 1-7-1989 appearing in 6th line of para 1, may please be read as 15-10-1990.

There is no other change in the othr terms and conditions of the Licence.

By order in the name of the President of India.

K. VIVEKANAND, Desk Officer

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 22nd February 1991

RESOLUTION

No. 07011/1/87-Salt.—In supersession of this Ministry's resolution No. 07011/1/87-Salt dated 10th August, 1988 nominating therein the Members of Parliament as Members of the reconstituted Central Advisory Board for Salt, the Government of India have decided to nominate the following Members of Parliament as Members of the Board :—

Sl. No., Name of the Members

1. Shri Balvant Manvar M.P. (Lok Sabha)
2. Shri R. N. Rakesh, M.P. (Lok Sabha)
3. Shri Vishwasrao Ramrao Patil, M.P. (Rajya Sabha).

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, All Ministries of the Govt. of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Office.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part-I, Section-I.

N. R. KRISHNAN, Addl. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 12th February 1991

RESOLUTION

No. F.1-2/90-PN(D.II) The Government of India have decided to nominate the following two persons of the Central Advisory Board of Education reconstituted *vide* resolution No. F.1-2/90-PN(D.II) dated 19th October, 1990 :

1. Dr. D. P. Pattanayak,
   Bogadi Road, Mysore-6.
2. Dr. (Smt.) Saraswati Swain,
   Kalyan Nagar, Cuttack,
   Orissa.

They are nominated under the category of 'Nominated Members representing various categories' and the Annexure to the aforecited Resolution will stand modified to the extent of incorporating the above two names at the appropriate places.

ORDER

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territory Administrations, Universities, Institutions/Organisations of the Department of Education, Ministry of Human Resource Development, etc. for information.

The 22nd February 1991

RESOLUTION

Subject : Vocationalisation of Secondary Education Programme.

No. F. 7-3/88-VE.—In partial modification of this Ministry Resolution No. F-7-3-88-VE dated 20-4-1990 on the subject mentioned above, it has been decided to revise the Constitution of the Joint Council of Vocational Education set up vide para 3 of the above resolution to include the following three members in addition to the members mentioned therein :—

1. Indian National Trade Union Congress,
I-B, Maulana Azad Road,
New Delhi.

2. Bhartiya Mazdoor Sangh,
2426, Tilak Gali Chunamandi,
Paharganj,
New Delhi.

3. Hind Mazdoor Sabha,
120, Babar Road,
New Delhi.

The total number of members of the Joint Council of vocational Education, with the present addition, will now be seventy five.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be sent to all the State Governments/Union Territory Administrations. All Ministries/Departments of the Govt. of India and the concerned agencies and employers organisations.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DR. D. M. DE REBELLO, Jt. Secy.

(DEPARTMENT OF CULTURE)

New Delhi, the 20th February 1991

No. F. 15-4/90-CH.I.—In pursuance of Sub-rule (i) of Rule 3 of the Rules and Regulations of Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti, Bhopal, the Central Government hereby nominate Shri Sant Bux Singh as honorary President of Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti with effect from the afternoon of 5th February, 1991 and accordingly Chairman of the Executive Council of Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti under Rule 18(b)(i) of the Rashtriya Manav Sangrahalaya Samiti, for the period of five years or till termination of the Presidentship by the nominating authority whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be sent to the Director, Rashtriya Manav Sangrahalaya, P.B. No. 7, Tawa Housing Board Complex, Bhopal-462016 and that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. C. TRIPATHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(HINDI SECTION)

New Delhi, the 23rd January 1991

RESOLUTION

No. E. 11014/1/89-Hindi.—In supersession of this Ministry's Resolution No. HPU/106/86 dated 18th March, 1986, the Government of India, hereby re-constitutes the Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Surface Transport, as given below :

Chairman

1. Minister of Surface Transport.

Members

2. Secretary, Ministry of Surface Transport.

3. Secretary, Official Language and Hindi Adviser to the Government of India.

4. Joint Secretary, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, New Delhi.

Member-Secy.

5. Joint Secretary (P), Ministry of Surface Transport.

Members

6. Director General, Road Development,
New Delhi.

7. Director General, Shipping,
Bombay.

8. Director General, Lighthouse & Lightship Department,
New Delhi.

9. Chairman, Dredging Corporation of India.

10. Chairman and Managing Director,
Shipping Corporation of India.

11. Chairman, Bombay Port Trust,
Bombay.

12. Chairman, Madras Port Trust,
Madras.

13. Chairman, Calcutta Port Trust,
Calcutta.

14. Shri Ram Singh, Member, Lok Sabha.

15. Shri Rameshwar Pattidar, Member,
Lok Sabha.

16. Shri M. C. Bhandare,
Member, Rajya Sabha.

17. Shri Abdul Samad Siddiqui,
Member, Rajya Sabha.

18. Shri Narsing Rao Suryawanshi,
Member, Lok Sabha.

19. Shri S. B. Thorat,
Member, Lok Sabha.

20. Shri R. Souri Rajan,
Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha.

21. Shri Amba Shankar Nagar,
Gujarat Vidya Pith,
Navrangpura, Ashram Road,
Ahmedabad.

22. Dr. V. K. Dubey,
1959 Napier Town, Jabalpur-482001,
Madhya Pradesh.

23. Shri Balasaheb Vishwasrao Patil,
Khande Rajuri,
P.O. Khande Rajuri,
Taluka-Miraz,
Distt. Sanglia-416426.

24. Dr. Pramod Sinha,
C-106, M.S. Apartment, K.G. Marg,
New Delhi-110001.

25. Shri Mahadev Subrahamanium,
Representative,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad.

26. Shri Bashir Ahmed Mayukh,
Poet and Writer,
Kota (Rajasthan).

27. Prof. Dr. Amarnath B. Dubey,
Bombay University and
Head of the Deptt. (Hindi),
Sidharth College,
Bombay (Maharashtra).

28. Prof. M. Seshan,
Head of the Department (Hindi),
Vaishnav College, Madras.

II. *Functions* :

The Samiti will render advice on all matters relating to progressive use of Hindi in day-to-day work of the Ministry and implementation of publicities and instructions issued by the Central Hindi Samiti and Hindi Advisory Committee of the Ministry of Home Affairs (Deptt. of Official Language).

III. *Tenure*

The terms of office of the members of this Samiti will be three years from the date of its reconstitution, provided that :—

(1) A member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of this Samiti as soon as he ceases to be a member of Parliament.

(2) The Ex-Officio members of the Samiti shall continue so long as they hold office by virtue of which they have gained membership of the Samiti.

(3) A mid-term vacancy caused due to resignation or death etc. of any member of the Samiti shall be filled up by his successor who shall hold office as member of this Samiti for the residue of the term of three years.

IV. *General*

(i) The Samiti may co-opt additional members or invite experts to attend its meetings or may appoint sub-committee as may be deemed necessary.

(ii) The headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it can hold its meetings at another place also, if necessary.

(iii) Non-official members of the Samiti shall be paid Travelling Allowance and Daily Allowance at the rates as prescribed by the Government from time to time and as shall be admissible under rules for attending meetings of the Samiti or its Sub-Committee, if any.

ORDER

It is ordered that a copy of this Resolution may be sent to all State Governments and Union Territory, Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, President's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Commerce Works and Miscellaneous and all Ministries and Departments of the Govt. of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

ASHOKE JOSHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 11th February 1991

RESOLUTION

No. E-11015/1/90-Hindi.—In continuation of the Ministry of Information & Broadcasting's resolution of even number dated 2-7-1990 and 13-8-1990 at Sl. No. 14, 15 and 16 the following persons have been nominated as non-official members of the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Information and Broadcasting by the Government of India :—

(1) Shri Anil Khosla,
House No. 1191, Sector-8,
Chandigarh.

(2) Shri K. K. Srivastava,
Former Secretary (Department of Official Language),
31-A, Srikrishnapuri,
Patna (Bihar).

(3) Shri K. K. Ramaswamy Ayangar,
Secretary,
Karnataka Hindi Prachar Samiti,
Block-1,
Jainagar, Bangalore-560011.

2. The other terms and conditions of the committee will remain same.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Sectt., Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. LAKSHMI NARAYANAN, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991.